रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3011] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 27, 2017/कार्तिक 5, 1939
No. 3011] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2017/KARTIKA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2017

का.आ. 3442(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतदद्वारा उक्त खंड के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित बोर्ड है, को उसे होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, जिस का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

"(क) जल और वायु अधिनियम के तहत स्वीकृत फीस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र फीस;

(ख) स्वीकृत निगमित फीस का नवीकरण;

(ग) वायु गुणवत्ता और जल गुणवत्ता संबंधी विश्लेषण फीस या ध्वनि स्तर सर्वेक्षण फीस;

(घ) प्राधिकार फीस;

(ड़) उपकर पुनः पूर्ति और उपकर अपील फीस;

(च) राष्ट्रीय वायु मानीटरिंग कार्यक्रम, भारतीय राष्ट्रीय जलीय संसाधनों और सम योजनाओं की मानीटरिंग की और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति;

(छ) पर्यावरणीय विधि, विनियमों, महत्वपूर्ण न्यायिक आदेशों और पर्यावरणीय मुद्दों जहां कोई लाभ घटक शामिल नहीं है और कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति का नहीं है, से संबंधित पुस्तकों का विक्रय;

(ज) जमा राशि पर ब्याज;

(झ) जन सुनवाई फीस;

(ञ) वाहन उत्सर्जन मानीटरिंग जांच फीस;

(ट) राज्य पर्यावरण संबंधी प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा प्रासेसिंग के लिए प्राप्त फीस;

(ठ) बोर्ड के पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा की गई प्रशिक्षण के लिए एकत्रित फीस, जहां कोई लाभ घटक शामिल नहीं है और कार्यकलाप वाणिज्यिक प्रकृति का नहीं है।

(ड) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) के तहत प्राप्त फीस और अपील फीस;

(ढ) प्रदूषण लागत या गैर-अनुपालन के कारण जब्ती या बैंक गारंटी; और

(ण) पुरानी या स्क्रेप वस्तुओं की बिक्री से आय, टेन्डर फीस।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि 'मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड'-

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप और विशेष आय की प्रकृति, वित्तीय वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2016-17 के लिए लागू समझी जाएगी और वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 89 /2017/फा. सं. 300196/30/2017-आईटीए-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापनः यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई भी व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।